



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1936 (शु0)
(सं0 पटना 645) पटना, शुक्रवार, 8 अगस्त 2014

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2014

सं0 संका0-1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-02/2011(पार्ट)-808—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा-8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014

- संक्षिप्त नाम और आरंभ। - (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
(2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
“10 रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। - प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकतम चार सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेल/विमान यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹2,00,000/- (दो लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी।”
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17 का उप-नियम (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“ (4) रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। - बिहार विधान मण्डल के पूर्व सदस्य को अधिकतम तीन सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेल/विमान यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹1,00,000/- (एक लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी :

परन्तु, जैसे पूर्व सदस्य भी, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हैं, रेल/विमान यात्रा के हकदार होंगे :

परन्तु और कि, वे रेल/विमान से की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा-भत्ता/दैनिक-भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ-पत्र, यथास्थिति, सचिव, विधान-सभा/सचिव, विधान परिषद् को एवं अपने नियोजन के प्राधिकार को देना होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बृज राज राय,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 645-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>